न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 201/2017/225 आर टी ए

1. गोंदाराम पुत्र गामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा तहसील मान्सा जिला मान्सा पंजाब।
2. मिठूराम पुत्र मालाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद साहरणी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. ताराराम पुत्र मालाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद साहरणी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. लालाराम पुत्र गण्डाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा तहसील मान्सा जिला मान्सा पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. चेतराम पुत्र अमीचन्द जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

2. मुन्शीराम पि0मु0 गणपत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शांति पत्नि भागीरथ जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. शिवभगवान पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. विनोद पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. दलीप पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. जगदीश पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. नाजरराम पुत्र गामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।
9. बानो पत्नि गामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. जितो बाई पुत्री मालाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद साहरणी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

——तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर

प्र0सं0 50/2015 बअनवानी चेतराम बनाम मुन्शीराम आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–06.09.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 स. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी भूमि मे चक 15 एनटीआर के प.न. 358/419 मु.न. 27 कि.न. 1 व 2 मे उतरी दिशा मे पश्चिम से पूर्व 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अपीलांटस को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया बिना किसी सूचना के एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर विधिक प्रक्रिया को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांटस व तरतीबी रेस्पो0 की भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया है जो बिना सुनवाई के पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया और ना ही विधिवत रूप से तामील करवाई। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा चाहा गया रास्ता ना तो नजदीकी है एवं ना ही सुविधाजनक है और ना ही उक्त रास्ता से कभी आवागमन रहा है जबकि रेस्पो0 का आवागमन हमेशा से प.न. 358/420 मु.न. 28 के कि.न. 10, 9 व 8 मे से मुडकर अपने खेत के कि.न. 3 मे प्रवेश कर जाता है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है एवं इसी रास्ता से आवागमन करता आ रहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 5 गामाराम 8 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके वारिस अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 8 ता 9 है एवं अप्रार्थी सं. 6 मालाराम 10 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

वारिस अपीलांट सं. 2 ता 3 व रेस्पो0 सं. 10 है जिसको प्रार्थना पत्र मे फरीक नही बनाया गया था कानूनन विचारण न्यायालय ने मृतक के खिलाफ निर्णय किया है। चक 15 एनटीआर के प.न. 358/419 मु.न. 27 के कि.न. 1 व 2 की भूमि बंटवारा मे अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं. 8 ता 10 को प्राप्त हुई है जो 45 वर्षो से काबिज चले आ रहे है जिसमे कभी भी रास्ता नही रहा एवं तहसील से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमे किसी भी प्रकार से स्थिति स्पष्ट नही की है उसके बावजूद भी उसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने स्पष्ट कहा कि मैने रास्ता स्वीकृत करवा लिया है अब मैं आपके खेत मे से रास्ता खुलवाउगा तब अदालत मे आकर निर्णय बाबत जानकारी प्राप्त की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने के लिए अपीलांट की भूमि मे रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। रेस्पो0 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तहसीलदार से रास्ता के सबंध मे मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मुताबिक रिपोर्ट रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता का विकल्प भी नही है। अपीलांटस ने बिना किसी आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 15 एनटीआर–ए के खाता सं. 93/96

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प.न. 358/419 मु.न. 27 कि.न. 1, 2 के उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो0 का आवागमन हमेशा से प.न. 358/420 मु.न. 28 के कि.न. 10, 9 व 8 मे से मुडकर अपने खेत के कि.न. 3 मे प्रवेश कर जाता है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है एवं इसी रास्ता से आवागमन करता आ रहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 5 गामाराम 8 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके वारिस अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 8 ता 9 है एवं अप्रार्थी सं. 6 मालाराम 10 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके वारिस अपीलांट सं. 2 ता 3 व रेस्पो0 सं. 10 है जिसको प्रार्थना पत्र मे फरीक नही बनाया गया था कानूनन विचारण न्यायालय ने मृतक के खिलाफ निर्णय किया है। चक 15 एनटीआर के प.न. 358/419 मु.न. 27 के कि.न. 1 व 2 की भूमि बंटवारा मे अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं. 8 ता 10 को प्राप्त हुई है जो 45 वर्षो से काबिज चले आ रहे है जिसमे कभी भी रास्ता नही रहा एवं तहसील से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमे किसी भी प्रकार से स्थिति स्पष्ट नही की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मृत व्यक्ति/पक्षकार के खिलाफ बिना मृत व्यक्ति/पक्षकार के वारिसान को पक्षकार बनाये तथा संयोजित पक्षकार अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अप्रार्थी भागीरथ के फौत होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु अन्य अप्रार्थी/पक्षकार की मृत्यु होने पर भी उनके वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया और मृत व्यक्ति/पक्षकार के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जबकि तहसीलदार रिपोर्ट मे भी रास्ता के संबंध मे कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई मात्र यह अंकित किया गया है कि '' प्रश्नगत रास्ता अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिया जाना उचित है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 8 व 9 को अप्रार्थी सं. 5 गामाराम के स्थान पर तथा अप्रार्थी सं. 6 मालाराम के स्थान पर अपीलांट सं. 2 ता 3 व रेस्पो0 सं. 10 को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ